संख्या-89/2016/732/22-2-2016-17(101)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जुलाई, 2016

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध बन्दी रामजी तिवारी पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामजी तिवारी पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, ग्राम-चुरिहारी, थाना-मिश्रौलिया, जनपद- सिद्धार्थनगर का निवासी है। जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य हुयी गाली गलौज एवं मारपीट में विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 31-10-1997 को प्रात: लगभग 08-30 बन्दूक से गोली मारकर विन्धेश्वरी तिवारी, राजकुमार तिवारी, नाजिर एवं श्रीमती नूरजहां की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-55/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 08-08-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26-08-2002 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-01-2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-01-2016 तक 17 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त थे, जिनको मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया चुका है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य हुयी गाली गलौज एवं मारपीट में विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 31-10-1997 को प्रात: लगभग 08-30 बन्दूक से गोली मारकर विन्धेश्वरी तिवारी, राजकुमार तिवारी, नाजिर एवं श्रीमती नूरजहां की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामजी तिवारी पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामजी तिवारी (बन्दी संख्या-736/2000) पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-89/2016/732(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-89/2016/732/22-2-2016-17(101)/2015
दिनांक 19 जुलाई, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध बन्दी रामजी तिवारी (बन्दी संख्या-736/2000) पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है। जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य हुयी गाली गलौज एवं मारपीट में विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 31-10-1997 को प्रात: लगभग 08-30 बन्दूक से गोली मारकर विन्धेश्वरी तिवारी, राजकुमार तिवारी, नाजिर एवं श्रीमती नूरजहां की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-55/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 08-08-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26-08-2002 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-01-2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-01-2016 तक 17 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त थे, जिनको मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया चुका है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य हुयी गाली गलौज एवं मारपीट में विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 31-10-1997 को प्रात: लगभग 08-30 बन्दूक से गोली मारकर विन्धेश्वरी तिवारी, राजकुमार तिवारी, नाजिर एवं श्रीमती नूरजहां की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामजी तिवारी पुत्र स्व0 राधेश्याम तिवारी, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।